''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 114-अ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 अप्रैल 2007—वैशाख 5, शक 1929

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2007

अधिसूचना

क्रमांक 2985/262/07/19/तकनीकी.—पथकर अधिनियम (1851 का सं. 8) और जो यह छत्तीसगढ़ राज्य को लागू है, कि धारा-2 सहपठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1094/5236/लोक निर्माण विभाग/2002/रायपुर, दिनांक 04-03-2002 को अतिष्ठित करते हुए, एतद्द्वारा रायगढ़ जिला में लैलूंगा कोदबा मार्ग के कि.मी. 1/10 पर स्थित खारून पुल पर पथकर की वसूली, दिनांक 1 मई सन् 2007 से समाप्त करती है.

Raipur, the 24th April 2007

NOTIFICATION

No. 2985/262/07/19/T.—In exercise of the powers conferred by section 2 read with section 4 of the Tolls Act (VIII of 1851) and its application to the State of Chhattisgarh, the State Government in Supersession of department notification No. 1094/5236/PWD/2002, Raipur Dated 04-03-2002 hereby terminate the levy of Tolls on Kharun Bridge located at 1/10 Km. of Lailunga Kotba Lavakera Road in Raigarh District with effect from 01-05-2007.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल राय , विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.